न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 2024 वाद GCMS NO : 2024/00086
पूर्व प्रकरण संख्या : 09 / 2018

1. प्रदीप कुमार भट्ट पिता स्व. श्री बालमुकन्द जी भट्ट, निवासी 26, तम्बालियों की गली, मोती चोहटा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. अन्जनी कुमार भट्ट पिता स्व. श्री बालमुकन्द जी भट्ट, निवासी 26, तम्बालियों की गली, मोती चोहदा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री बालमुकन्द जी भट्ट, पत्नी श्री कमल नयन जी जोशी, निवासी लक्ष्मीनारायण कॉलोनी, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती कल्पना पुत्री स्व. श्री बालमुकन्द जी भट्ट, पत्नी श्री भरत वत्सल पन्ड्या, निवासी भटीयानी चौहट्टा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती रचना पुत्री स्व. श्री बालमुकन्द जी भट्ट, पत्नी श्री महेन्द्र कुमार दिक्षीत, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री बसन्तीलाल पिता श्री कन्हैयालाल जी जैन, आयु वयस्क, निवासी आनन्द नगर, वसई रोड़ स्टेशन, वसई (महाराष्ट्र)
2. श्रीमती मधु जैन पत्नी स्व. श्री जगदीश चन्द्र जी जैन, आयु वयस्क, निवासी विरार स्टेशन रोड़, विरार (महाराष्ट्र)
3. श्री शान्तीलाल पिता श्री सरदारमल जी जैन, निवासी– उदयपु, जिला उदयपुर, (राज.)
4. श्री विजय कुमार पिता श्री सोहनलाल जी जैन, निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)
5. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री अमोलक चन्द्र जी कच्छावा, निवासी 90, मोती मगरी स्कीम, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री कालुलाल जी मीणा, आयु वयस्क, निवासी 58, अगाटिया, सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
7. श्री नरेन्द्र कुमार पिता श्री कालुलाल जी मीणा, निवासी 58, अगाटिया, सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
8. श्रीमती यामिनी पुत्री स्व. श्री बालमुकन्द जी भट्ट, पत्नी श्री अशोक जी व्यास, निवासी इशा बेला बिस्टा, कोन्डया, पुणे (महाराष्ट्र)
9. श्री शंकरलाल पिता श्री गेगराज जी नागदा, निवासी 5, पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री भरत जैन अधिवक्ता वादी
श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादगण 1, 2 व 9

निर्णय

दिनांक : 06.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि ग्राम तितरड़ी, पटवार क्षेत्र तीतरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) में कृषि आराजी संख्या 2717 रकबा 0.7100 हैक्टर भूमि स्थित जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों मे विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम 6670/7100 हिस्सा बराबर एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम 430/7100 हिस्सानुसार दर्ज है। आराजी संख्या 2717 के साबिक आराजी संख्या 1085 मी. रकबा 33 बीघा 3 विस्वा थे जो श्री शिवदानसिंह जी पिता श्री महाराज श्री हिम्मतसिंह जी सिसोदिया निवासी उदयपुर की खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य की आराजी होकर राजस्व अभिलेखों में बतौर खातेदार काश्तकर अंकित था। श्री शिवदान सिंह जी द्वारा साबिक आराजी संख्या 1085 में से 5 बिस्वा भूमि जिसके पड़ौस पूर्व सरकारी रोड उदयपुर से सलुम्बर जाने का, पश्चिम–विक्रेता स्वयं का बीड़ और मन्दिर का एरिया, उत्तर– श्रीमती सुषमा सक्सेना का बाडा एवं दक्षिण– श्री कंचनसिंह जी हिरण का बाड़ा है, को प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 8 के पिता स्व. श्री बालमुकन्द जी भट्ट को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांकित 13–04–1970 से विक्रय कर कब्जा सौंप दिया गया। उपरोक्त विकय पत्र को उप पंजीयक अधिकारी उदयपुर के वहा दिनांक 24–05–1970 को पंजीकृत करवा दिया गया। श्री बालमुकन्द जी द्वारा वादग्रस्त भूमि क्रय करने के पश्चात् उपरोक्त भूमि के चारों और पत्थर की पक्की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करवाया जाकर आगे मुख्य सड़क की ओर पूर्वी – उत्तरी कार्नर पर लोहे की फाटक लगी हुई है। श्री बालमुकन्द जी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कमरों का निर्माण करवाया जाना चाहा गया, जिस पर ग्राम पंचायत तितरड़ी द्वारा दिनांक 05–07–1986 को दो कमरों के निर्माण की स्वीकृति श्री बालमुकन्द जी के पक्ष में जारी कर दी गई, तत्पश्चात श्री बालमुकन्द जी द्वारा वादग्रस्त भूमि के मुख्य सड़क की ओर अर्थात पूर्वी दिशा में दूकानों का निर्माण कार्य करवाने हेतु ग्राम पंचायत तितरड़ी में पुनः निर्माण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत तीतरड़ी द्वारा दिनांक 20–11–2002 को निर्माण स्वीकृति जारी कर दी गई इस प्रकार से स्पष्ट है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर श्री बालमुकन्द जी का पुख्ता कब्जा होकर उपरोक्त भूमि दिनांक 13–04–1970 से स्वामित्व अधिकार एवं अधिपत्य की भूमि है। श्री बालमुकन्द जी के विधिक वारिसान प्राथीगण एवम् विपक्षी संख्या 8 श्रीमती यामिनी है। किन्तु सहवन से स्व. श्री बालमुकन्द जी द्वारा क्रय की गई वादग्रस्त भूमि समस्त राजस्व अभिलेखों में श्री बालमुकन्द जी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं हो पाई एवं वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण आराजी संख्या 1085 सहित विक्रेता महाराज श्री शिवदानसिंह जी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

रही। विक्रय के समय कृषि भूमियों को टूकड़ों में बेचे जाने पर रोक थी जिस कारण से स्व. श्री बालमुकन्द जी के नाम पर वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं हो पाई। तत्पश्चात तहसील गिर्वा का सेटलमेन्ट हो जाने से उपरोक्त आराजी संख्या 1085 के नवीन आराजी संख्या 2717, 2989, 2990 बने वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 2717 में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र आराजी संख्या 2717 हेतु ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। महाराज श्री शिवदान सिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 2717 श्री शिवदान सिंह जी के पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह जी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गयी। वादग्रस्त भूमि अन्य सम्पूर्ण आराजी संख्या 2717 की भूमि के साथ श्री सुरेन्द्रसिंह जी के नाम पर दर्ज हो गयी एवं तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि बाबत अवैधानिक तौर से उत्तरोत्तर विक्रय होने से वर्तमान में आराजी संख्या 2717 रकबा 0.7100 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम 6670/7100 हिस्सा बराबर एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम 430/7100 हिस्सानुसार दर्ज हो गया। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 8 के पिता स्व. श्री बालमुकन्द जी का नाम सेहवन से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाया किन्तु वादग्रस्त भूमि क्रय के समय से ही प्रार्थीगण एवं उनके पिता के अधिपत्य में चली आ रही है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा एक नुमायशी विक्रय पत्र आराजी संख्या 2717 के 1/4 हिस्से में से 1500 वर्गफीट भूमि का जरिये मुख्तीयारआम श्री शंकरलाल पिता श्री गेगराज जी नागदा (विपक्षी संख्या 9) के माध्यम से विपक्षी संख्या 6 एवं 7 के पक्ष में बगैर प्रतिफल एवं कब्जे का आदान–प्रदान किये नुमायशी रूप से निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया। विपक्षी संख्या 6, 7 के पक्ष में जो नुमायशी विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करवाया गया है उसमें कोई पड़ौस दर्ज नहीं है फिर भी विपक्षी संख्या 1 से 7 एवं 9 जो कि भू–माफिया है उनके द्वारा एक नाजायज गिरोह बनाकर अब विपक्षी संख्या 1 से 7 एवं 9 उक्त नाजायज गिरोह के दम पर विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा करवाये गये नुमायशी विक्रय पत्र की आड़ में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 8 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। विपक्षी संख्या 1 से 7 व 8 द्वारा प्रार्थीगण को यह भी धमकीयां दी जा रही है कि आराजी संख्या 2717 सम्पूर्ण उनके नाम दर्ज होने से वे वादग्रस्त भूमि को आगे भी नुमायशी तोर पर अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देगें। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 से 7 एवं 9 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कराई जाये कि वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करावे, न ही वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति में परिवर्तन करे, न वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित ही करे।

विपक्षी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि शिवदान सिंह जी ने आराजी नम्बर 1085 जिसके हाल आराजी संख्या 2717 हैं, में से 4 बिस्वा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 5 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से विपक्षी संख्या 5 ने इसके चारों ओर पक्की डोली व कमरे का निर्माण कर इस पर फाटक लगाकर शुरू से काबिज है। वादग्रस्त भूमि में से 4 विस्वा भूमि क्रय करने के पश्चात् उस पर विपक्षी संख्या 5 सम्पूर्ण से आज भी काबिज चली आ

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

रही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम का अंकन न होने से उसके द्वारा एक बाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका अंतिम निर्णय व डिकी माननीय राजस्व अपील न्यायालय, उदयपुर के द्वारा प्रकरण संख्या–189/2009 (उदयपुर डिकी) शान्ति देवी बनाम भीमसिंह वगैरह में दिनांक 21–07–2010 को पारित फरमायी, जिसमें विपक्षिया संख्या–5 को 430/7100 हेक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित फरमाया गया। उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण क्रमांक 3935 निर्णित उसका दाखिला संवत् 2067–70 की जमाबन्दी के खाता नम्बर 468 पर कर दिया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, अपूर्णीय क्षति व सुविधा सन्तुलन के तीनों ही बिन्दु विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में है क्योंकि वह इस भूमि की अभिलिखित खातेदार होकर वास्तविक भौतिक रूप से काबिज है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 1, 2 व 9 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब मय आपत्ति पेश कर निवेदन किया गया कि साबिक आराजी संख्या 1085 के हाल आराजी संख्या 2717, 2989 व 2990 आराजी ही नहीं, बल्कि हाल आराजी संख्या–2615 से 2617. 2691, 2692, 2711, 2712, 2716, 2717, 2723, 2724, 2729, 2730, 2745, 2988 से 2990, 2996 से 3010, 3200/2701, 3238/2722, 3251/2710 व 3276/2997 कुल किता 36 कुल रकबा 11.9900 हैक्टेयर बने है। जिसे प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित नही किया है और न ही इनके खातेदारो को पक्षकार मुकद्दमा ही बनाया है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया पोषनीय नहीं होकर काबिल निरस्त योग्य है। सभी हाल आराजी का पूर्व में उप जिला कलक्टर, गिर्वा की जिस डिक्री के आधार पर विभाजन हुआ था, वह डिक्री माननीय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय से खारिज हो चुकी है। इसलिए अब उक्त आराजी संख्या 2717 के अकेले विपक्षी संख्या 1 से 4 खातेदार नही रह गए है। सभी आराजी अब पुनः पूर्व की भाँति सभी काश्तकारों की शामलाती भूमि हो गई है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी संख्या 2717 का विभाजन चाहते है, जो अन्य आराजी को व उनके सहखातेदारों को शामिल किये बिना सम्भव नही है। पंचायत को कृषि भूमि पर निर्माण स्वीकृति जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त था ही नहीं। प्रार्थीगण ने मौके पर कोई निर्माण नही करवाया है। प्रार्थीगण का कब्जा कभी भी मौके पर नही है। खातेदारी आधिपत्य की भूमि को विक्रय करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। सुविधा सन्तुलन विपक्षी के पक्ष में है और अपुरणीय क्षति प्रार्थीगण को होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नही है।

विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी संख्या 4 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण स्वयं साबिक के तीन आराजी बनना बता भी रहे है ओर दावा एक आराजी पर कर रहे है। वास्तव में प्रार्थीगण के तथाकथित साबिक आराजी संख्या 1085 से वाद वर्णित हाल आराजी नम्बर 2717, 2989 व 2990, आराजी ही नही बल्कि हाल आराजी सख्य 2615 से 2617, 2691, 2692, 2711, 2712, 2716, 2717, 2723, 2724, 2729, 2745, 2988 से 2990, 2996 से 3010, 3200/2701, 3238/2722, 3251/2710 व 3276/2997 कुल कीता 36 कुल रकबा 11.9900 हैक्टेयर बने है, जिसे प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sinvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र मे वर्णित नही किया है ओर न ही इनके खातेदारो को पक्षकार मुकदमा ही बनाया है। उक्त सभी हाल अराजी का पूर्व मे उपजिला कलक्टर गिर्वा न्यायालय द्वारा जिस डिकी के आधार पर विभाजन हुआ था, वह डिकी मान्य राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय से खारिज होकर रिमाण्ड कर दी गई. इसलिये प्रश्नगत आराजी में अकेले विपक्षी संख्या 1 से 4 खातेदार नही होकर पूर्व की भाँति सभी खातेदार काश्तकार की शामलाती की भूमि हो चुकी है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित पक्षकारो द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सबिक आराजी नम्बर 1085 से सम्बन्धित हाल आराजी संख्या जिसमें प्रश्नगत आरजी सख्या भी सम्मिलित होकर स्थगन आदेश जारी कर रखा है, इसलिये ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित कराया जाता है तो वह विपक्षीगण के विरूद्ध निष्प्रभावी रहेगा। माननीय न्यायालय को प्रश्नगत आराजी में भी स्थगन आदेश होने से वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित कराया जाना आवश्यक है, जिसके लिए पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण बार–बार फर्जी अस्पष्ट विकय पत्र का कथन दौहरा रहा है। उक्त भूमि पर एकमात्र आधिपत्य विपक्षी का चला आ रहा है उक्त आराजी तो सही तौर पर विपक्षी के नाम पर दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का आधिपत्य नही है। जब उक्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई लेना–देना ही नही है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी कदापि नही है। खातेदार काश्तकार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त कराया जावे।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में श्री शिवदानसिंह जी पिता श्री महाराज श्री हिम्मतसिंह जी शिशोदिया की खातेदारी में अंकित थी। तत्पश्चात् श्री शिवदान सिंह जी द्वारा साबिक आराजी संख्या 1085 में से 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 8 के पिता स्व. श्री बालमुकन्द जी भट्ट को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 13–04–1970 से विक्रय कर कब्जा सौंप दिया गया, तब से आजदिनांक तक वादग्रस्त आराजीयात पर पूर्व में बालमुकुन्द जी का एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात पर बालमुकुन्द जी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है एवम् कमरों व दुकानों का निर्माण भी कराया गया है। किन्तु विक्रय के समय कृषि भूमियों को टूकड़ों में बेचे जाने पर रोक थी जिस कारण से स्व. श्री बालमुकन्द जी के नाम पर वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नहीं होकर विक्रता श्री शिवदानसिंह जी के नाम पर तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनक पुत्र सुरेन्द्रसिंह जी के नाम ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही। सेटलमेन्ट होने से वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 1085 के हाल आराजी संख्या 2717, 2989, 2990 बने। तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि का विक्रय होने से वर्तमान में आराजी संख्या 2717 रकबा 0.7100 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम 6670/7100 बराबर हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम 430/7100 हिस्सा दर्ज है। जिससे विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा एक नुमायशी विक्रय पत्र आराजी संख्या 2717 के 1/4 हिस्से में से 1500 वर्गफीट भूमि का मुख्तियारआम श्री शंकरलाल पिता श्री गेगराज जी नागदा (विपक्षी संख्या 9) के माध्यम विपक्षी संख्या 6 एवं 7 के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shiv Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

नुमायशी रूप से निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया गया। वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं विक्रय करने पर उतारू है। जबकि कब्जा वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 8 का है। अतः निवेदन है कि ं विपक्षी संख्या 1 से 7 एवं 9 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे ना ही भूमि को अन्य किसी को विक्रय करें। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 1085 से बने हाल नम्बरों 2717, 2989 व 2990 का बनना बताया है। जबकि इस हाल नम्बरों के अलावा भी कई हाल नम्बर बने है। जिसका वर्णन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना में नहीं किया गया है, ना ही इनके सभी खातेदारों को प्रकरण में पक्षकान बनाया है। सभी हाल आराजीयात का पूर्व में उप जिला कलक्टर, गिर्वा की जिस डिक्री के आधार पर विभाजन किया गया था, किन्तु उस डिक्री को माननीय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा खारिज किया गया। इसलिए अब आराजी संख्या 2717 के अकेले विपक्षी संख्या 1 से 4 खातेदार नही रह गए है। सभी आराजीया अब पुनः पूर्व की भाँति सभी काश्तकारों की शामलाती भूमि हो गई है। प्रार्थीगण द्वारा ना ही सभी खातेदारों को पक्षकरान बनाया गया है ना ही उनका मौके पर कोई कब्जा है। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है, एवम् कब्जा भी हमारा है। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया एवम् अप्रार्थी द्वारा बताया कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को दुविधा हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने खाता संख्या 280 की जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030,छाया प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 22.0.1970 की छाया प्रति, मिलान खसरा की छाया प्रति, जमाबन्दी संवत् 2042–2046 खाता संख्या 386 की छाया प्रति, कार्यालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा जारी भू–राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 90 व 91 के अन्तर्गत सूचना पत्र दिनांक 17.07.1989 की छाया प्रति, जमाबन्दी संवत् 2070–2073 खाता संख्या 502 की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2017 को निष्पादित की छाया प्रति, बालमुकुन्द भट् के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, प्रस्तुत की है। विपक्षीगण द्वारा दस्तावेज साक्ष्य में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः** – उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी का है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि शिवदान सिंह जी द्वारा अपने खातदेारी अधिकारी की भूमि आराजी नम्बर 1085 में से 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवम् विपक्षी संख्या 8 के पिता स्वर्गीय श्री बालमुकुन्द जी भटट् को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.04.1970 को बेचान किया गया। उक्त भूमि का तत्कालीन समय में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कराकर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। नवीन सेटलमेन्ट के बाद में आराजी नम्बर 1085 के नये आराजी नम्बर 2717, 2989, 2990 बने। जबकि विपक्षीगण के अनुसार आराजी नम्बर 1085 के नये नम्बर 2717, 2989 व 2990, के अलावा अन्य आराजीयात आराजी संख्या 2615 से 2617, 2691, 2692, 2711, 2712, 2716, 2717, 2723, 2724, 2729, 2745, 2988 से 2990, 2996 से 3010, 3200/2701, 3238/2722, 3251/2710 व 3276/2997 कुल कीता 36 कुल रकबा 11.9900 हेक्टेयर बने है। प्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित आराजीयात जिसका साबिक नम्बर 1085 के नये नम्बर जो कुल 36 है, में से जिस नम्बर पर विक्रय विलेख पत्र का जिक्र किया है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में उप जिला कलक्टर गिर्वा के जिस डिक्री के आधार पर विभाजन हुआ था, वह डिक्री खारिज होने के कारण आराजी संख्या 2717 के अकेल विपक्षी संख्या 1 से 4 ही खातेदार नहीं होकर सभी काश्तकार खातेदार है। अतः सभी काश्तकारों को भी इसमें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सभी काश्तकारों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वाद वर्णित आराजी में विपक्षी संख्या 5 का 430/7100 वां हिस्सा है जो भी एक अभिलिखित काश्तकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपनी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पंचायत की स्वीकृति लेकर दुकानों का निर्माण किया गया जिसमें वर्तमान में भूमि कृषि प्रयोजनार्थ नहीं होकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग आ रही है। विपक्षीगण 1 से 5 अभिलेखित काश्तकार है। अतः जिनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

2. अपूणीय क्षति :– उक्त बिन्दु को साबित कराने का भार प्रार्थीगण का है। विपक्षी संख्या 1 से 5 अभिलिखित काश्तकार है। जिनको राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने से अपूणीय क्षति विपक्षी को होगी। प्रार्थीगण के पिता द्वारा वाद वर्णित विवादित आराजीयात के साबिक नम्बर 1085 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 13.04.1970 मे क्रय की गई। उक्त भूमि के नये आराजी नम्बर कुल किता 36 बने। अतः विपक्षीगण 1 से 5 द्वारा भी उक्त साबिक आराजी नम्बर में से ही क्रय की गई। अतः विपक्षी को पाबंद किया जाने से अपूणीय क्षति विपक्षीगण को ही होगी। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested

3. सुविधा एवं सन्तुलन :– उक्त बिन्दु को साबिक कराने का भार प्रार्थीगण है। चूंकि प्रथम 2 बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तय हुए है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला एवं अपूणीय क्षति प्रार्थीगण के विरूद्ध होने के कारण सुविधा एवं सन्तुलन भी प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विपक्षीगण खातेदार होने से विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.13 12:33:31 IST
Reason: SelfAttested